भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3996
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

3996. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत विशेषकर केरल में निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और रखरखाव करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बेहतर टिकाऊपन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैच तीन में शामिल की जाने वाली नई पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के लिए 20% बिटुमिनस मैकडैम (बीएम) का प्रावधान पुनः शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क नवीनीकरण और नई निर्माण परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कुल कितना बजट आवंटित किया गया है; और

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के कार्यान्वयन और रखरखाव में चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेषकर कुट्टनाड जैसे ग्रामीण और निचले इलाकों में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों का रखरखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत

निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। पीएमजीएसवाई के तहत , मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सड़कों का 5 साल का रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों की डिजाइन अवधि दस साल है , इसलिए राज्यों को अगले पांच साल तक रखरखाव का काम करना होगा। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर जोर देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने दोष देयता अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई-मार्ग यानी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी लागू किया है। ई-मार्ग के पांच साल के निर्माण के बाद के मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्वास , नवीनीकरण, नवीनीकरण से पहले नियमित रखरखाव , नवीनीकरण के बाद रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं। अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास रखा जाता है। 5 साल के निर्माण रखरखाव ठेके की समाप्ति के बाद, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल के रखरखाव के क्षेत्रीय रखरखाव ठेकों के तहत रखा जाना होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) आईआरसी: एसपी 72: 2015 (भारतीय सड़क कांग्रेस - विशेष प्रकाशन 72, 2015) दिशा-निर्देश अनुकुलित फुटपाथों के डिजाइन और निर्माण के लिए सिफारिशें करता हैं। इसमें यातायात की संख्या के आधार पर फुटपाथों के लिए बिटुमिनस मैकडैम के निर्माण का उल्लेख है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार , 1.5 मिलियन मानक एक्सल (एमएसए) से अधिक यातायात मात्रा वाले फुटपाथों का निर्माण बिटुमिनस मैकडैम का उपयोग करके किया जाना है। पीएमजीएसवाई-III के तहत इसका पालन किया जा रहा है। हालाँकि , कोई भी राज्य कम यातायात श्रेणी वाली सड़कों के लिए बीएम का विकल्प चुन सकता है , बशर्ते कि अतिरिक्त लागत राज्य द्वारा वहन की जाए।

(घ) चालू वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई सड़क नवीनीकरण और नई निर्माण परियोजनाओं के लिए आवंटित/जारी कुल बजट का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.) 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई केंद्र सरकार का एकबारगी विशेष कार्यकलाप है, जो कोर नेटवर्क में पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करता है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार , पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का निष्पादन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रगति की निगरानी करने और पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध

कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उपाय के रूप में नियमित अंतराल पर भाग लेने वाले राज्य सरकारों के नोडल विभागों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम) और निष्पादन समीक्षा समिति बैठकें (पीआरसी) आयोजित की जाती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) पीएमजीएसवाई के संचालन मैनुअल में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य स्वीकृति की तिथि से 72 दिनों के भीतर शुरू हो जाएं।

(ii) राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।

(iii) बोली दस्तावेज़ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(iv) क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(v) कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

मंत्रालय ने दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई-मार्ग अर्थात सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी लागू किया है।

इसके अलावा, ईएमएआरजी के पांच वर्ष के बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्वास, नवीकरण, नवीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव, नवीकरण-पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

***

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3996 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चालू वित्त वर्ष के दौरान (20.03.2025 तक) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यवार आवंटित/जारी कुल केंद्रीय निधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**जारी केंद्रीय निधि**
1	अंडमान और निकोबार	0.00
2	आंध्र प्रदेश	171.07
3	अरुणाचल प्रदेश	350.00
4	असम	35.43
5	बिहार (आरडब्ल्यूडी)	1057.44
6	छत्तीसगढ़	283.23
7	गोवा	0.00
8	गुजरात	147.34
9	हरियाणा	0.38
10	हिमाचल प्रदेश	325.50
11	जम्मू एवं कश्मीर	685.50
12	झारखंड	943.77
13	कर्नाटक	50.00
14	केरल	122.27
15	मध्य प्रदेश	526.29
16	महाराष्ट्र	659.43
17	मणिपुर	2.81
18	मेघालय	145.11
19	मिजोरम	87.50
20	नागालैंड	2.25
21	ओडिशा	712.39
22	पंजाब	319.87
23	पुदुचेरी	0.00

24	राजस्थान	379.84
25	सिक्किम	70.00
26	तमिलनाडु	577.66
27	तेलंगाना	132.57
28	त्रिपुरा	26.13
29	उत्तर प्रदेश	1468.66
30	उत्तराखंड	521.75
31	पश्चिम बंगाल	115.00
32	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	110.81
कुल		**10,029.99**

***